समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–40/2023–24

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

–बनाम्–

संजीव कुमार महतो एवं अन्य

–::आदेश::–

16.07.2024

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–36/2023, दिनांक–21.07.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि हरला थाना कांड सं0–103/2023, दिनांक–19.07.2023 के अन्तर्गत जप्त 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर वाहन सं0–JH09AD-6703/Trolly No. JH09AD-9390 एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट बालू 2. भतुआ ग्राम स्थित दामोदर नदी तट से करीब 300 मीटर दक्षिण की ओर स्थित लगभग 48600 घनफीट बालू एवं भतुआ ग्राम से दक्षिण की ओर स्थित सेक्टर–11, तेलमच्चो रोड के बगल में लगभग 200 मीटर पर लगभग 3000 घनफीट बालू का अवैध भण्डारण के विरूद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके द्वारा The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं बालू को राजसात् की कार्यवाही करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

वाद का सारांश है कि दिनांक–19.07.2023 को जिला खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, बोकारो, पुलिस अवर निरीक्षक, हरला थाना एवं स्थानीय पुलिस बल के साथ थाना अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों छापामारी अभियान चलाया गया। जिसमें भतुआ चौक (ग्राम भतुआ) में समय 15:55 बजे महिन्द्रा ट्रैक्टर वाहन सं0–JH09AD-6703/Trolly No. JH09AD-9390 एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट बालू लोड कर तेलमच्चो से सेक्टर 11 की ओर से जा रही थी, जिसे पुलिस बल के द्वारा वाहन को रूकने का इशारा करने पर वाहन चालक/मालिक पुलिस को देखते ही वाहन छोड़कर फरार हो गये। उक्त ट्रैक्टर को नियमानुसार जप्त करते हुए थाना के सुपूर्द किया गया। वाहन में किसी भी प्रकार का

कागजात यथा ई–परिवहन चालान उपलब्ध नहीं पाया गया। भतुआ ग्राम स्थित दामोदर नदी तट से करीब 300 मीटर दक्षिण की ओर स्थित लगभग 48600 घनफीट बालू एवं भतुआ ग्राम से दक्षिण की ओर स्थित सेक्टर–11, तेलमच्चो रोड के बगल में लगभग 200 मीटर पर लगभग 3000 घनफीट बालू का अवैध भण्डारण पाया गया। फलस्वरूप संबंधित वाहन पर लदा बालु एवं वाहन के मालिक/चालक के विरूद्ध हरला थाना में काण्ड दर्ज किया गया।

उक्त के क्रम में वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए समाचार पत्र के माध्यम से प्रतिवादी (अज्ञात) को अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया। जिसके आलोक में प्रतिवादी (प्रश्नगत वाहन के मालिक) की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति दर्ज करते हुए वाहन विमुक्ति हेतु आवेदन एवं कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी संजीव कुमार महतो की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान यह अधिहरण वाद सच्चाईयों पर एवं कानून के दृष्टिकोण से चलाने योग्य नहीं है। वादी के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सत्य से बिल्कुल परे, मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद है। वादी के द्वारा जब्ती कार्यवाही जब्ती की तारीख से बिना किसी स्पष्टीकरण के काफी देरी के बाद शुरू की गई जिसके कारण प्रतिवादी को भारी नुकसान हुआ है। विपक्षी संजीव कुमार ट्रैक्टर वाहन सं0– JH09AD-6703/Trolly No. JH09AD-9390 के मालिक है और वह निर्दोष है। उन्हें इस वाद में गलत तरीके से फँसाया गया है। जप्ती के समय वाहन खाली अवस्था में था, उस पर कोई बालु लोड नहीं था। खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, बोकारो, स्थानीय पुलिस बल के साथ जाँच के क्रम में वाहन को जप्त कर प्रतिवादी के विरूद्ध झूठा वाद दर्ज कर दिया गया। जप्ती सूची तैयार करने के दौरान वादी के द्वारा किसी भी स्वतंत्र गवाह से इसका सत्यापन नहीं किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 11 में उल्लेखित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी ने झारखण्ड

खान और खनिज अधिनियम या उसके संबद्ध अधिनियमों और नियमों के किसी भी नियम और विनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि प्रतिवादी एक गरीब ग्रामीण है और प्रश्नगत वाहन उसके आजीविका का एक मात्र साधन है। इसलिए यह अधिहरण की कार्यवाही विधिक नहीं है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा न्यायहित में ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सं0– JH09AD-6703/Trolly No. JH09AD-9390 को विमुक्त करते हुए वाद की कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

भतुआ ग्राम स्थित दामोदर नदी तट से करीब 300 मीटर दक्षिण की ओर स्थित लगभग 48600 घनफीट बालू एवं भतुआ ग्राम से दक्षिण की ओर स्थित सेक्टर–11, तेलमच्चो रोड के बगल में लगभग 200 मीटर पर लगभग 3000 घनफीट बालू, जो अवैध रूप से भण्डारित पाया गया है, के संदर्भ में अब तक किसी के द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि हरला थाना कांड सं0–103/2023, दिनांक–19.07.2023 धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 21 MMDR Act, 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 एवं 13 झारखण्ड खनिज नियम–2017 के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सं0– JH09AD-6703/Trolly No. JH09AD-9390 के चालक/मालिक के द्वारा बिना वैध कागजात (चालान) के ही प्रश्नगत बालू का परिवहन किया जा रहा था। जाँच दल को देखते ही वैध कागजात/ई परिवहन चालान प्रस्तुत करने के बजाय, चालक/मालिक का वाहन छोड़कर भागना उनके दूषित मंशा को दर्शाता है। प्रतिवादी संजीव कुमार की ओर से दिया गया दलील न तो संतोषजनक है और न ही उसका कोई ठोस आधार। बिना वैध परिवहन चालान के खनिजों का उत्खनन कर परिवहन करना MMDR Act, 1957 की धारा–4(1), 4(1A) का उल्लंघन है एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा–21 के तहत दण्डनीय भी साथ ही The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के नियम–9 का उल्लंघन है जो नियम 13 के तहत दण्डनीय भी। अवैध रूप से बालु खनिज के परिवहन के आरोप में The Jharkhand

17

Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी **repeated offender** नहीं है। The Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2004 (as amended) के नियम 54(5) ''..................यदि किसी वाहन का कोई चालक लघु खनिज को परिवहन करते समय सक्षम पदाधिकारी अथवा निदेशक, खान अथवा अपर निदेशक, खान अथवा उप निदेशक, खान अथवा जिला/सहायक खनन पदाधिकारी अथवा समाहर्त्ता अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को प्रपत्र 'एम' अथवा झारखण्ड खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अन्तर्गत फार्म 'डी' में परिवहन चालान दिखाने में असफल रहता है अथवा निरीक्षण से इन्कार करता है, तो उसे अधिकतम 01 वर्ष की कैद अथवा खनिज मूल्य की दोगुनी राशि के बराबर दण्ड अथवा दोनो एक साथ दिया जा सकता है,................ सक्षम पदाधिकारी द्वारा अवैध परिवहनकर्त्ता के उपरोक्त दण्ड शुल्क एवं इस आशय का बंध पत्र (**Bond Paper**) समर्पित किए जाने पर कि न्यायालय द्वारा नोटिस दिए जाने पर उपस्थित होंगें, वाहन को खनिज सहित छोड़ा जा सकता है,.............''।

वर्णित परिस्थिति में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को निदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संजीव कुमार से प्रश्नगत वाहन (ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सं0– JH09AD-6703/Trolly No. JH09AD-9390) पर लदा बालू के समतुल्य दण्ड शुल्क के रूप में दोगुनी राशि ई–चालान के माध्यम से BKRNMI001-DIST. MINING OFFICER, MINING OFFICE, Department of Industries, Mining & Geology के पक्ष में प्राप्त करते हुए जप्त वाहन को नियमानुसार विमुक्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगें, साथ ही भतुआ ग्राम स्थित दामोदर नदी तट से करीब 300 मीटर दक्षिण की ओर स्थित लगभग 48600 घनफीट बालू एवं भतुआ ग्राम से दक्षिण की ओर स्थित सेक्टर–11, तेलमच्चो रोड के बगल में लगभग 200 मीटर पर लगभग 3000 घनफीट बालू, जो अवैध रूप से भण्डारित पाया गया है, को भी विधिवत निलामी के माध्यम से निष्पादित

करना सुनिश्चत करेगें। उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता—सह—जिला दण्डाधिकारी बोकारो।	समाहर्त्ता—सह—जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

स्थानः— बोकारो।
दिनांकः— 16/07/2024

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2024.08.23 17:02:50 +05:30
Location: 192.168.219.234